विधान सभा सचिवालय

मध्यप्रदेश

समाचार

जीएसटी की दरों में कमी तथा आमजन को राहत पहुंचाने पर प्रधानमंत्री जी और जीएसटी काउंसिल का कदम स्वागत योग्य -श्री तोमर

भोपाल, 4 सितम्बर 2025

आज विधान सभा में मीडिया से चर्चा करते हुए विधान सभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश की 140 करोड़ आबादी के हित में, गांव, गरीब , किसान और आमजन को राहत पहचाने के लिए जीएसटी दरों को 4 की जगह सिर्फ 2 स्लैब में करने का अत्यंत सराहनीय और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हम सभी प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं।

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से की थी, एक ऐतिहासिक कर ढांचे के रणनीतिक, सैद्धांतिक और नागरिक-केंद्रित विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सभी नागरिकों के जीवन के स्तर को बेहतर बनाएंगे।

जहां 12 फीसदी और 28 प्रतिशत वाले टेक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है, वहीं 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत स्लैब्स में इन वस्तुओं को रखने से निश्चित रूप से आवश्यक वस्तुओं के दामों में कमी आएगी। वहीं, 40 फीसदी का एक नया टैक्स ढांचा बनाया गया है।

हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी शून्य करने का कदम ऐतिहासिक है, इससे आम आदमी स्वास्थ्य बीमा करा कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकेगा।

पनीर, छेना, टेट्रापैक दूध, रोटी, चपाती परांठा, खाकरा जैसी आम लोगों से जुड़ी खाद्य वस्तुओं, दुर्लभ बीमारियों और कैंसर की दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

आम आदमी की कई वस्तुएं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू सामान आदि पर जीएसटी 18% या 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

बहुत अधिक तापमान वाला (यूएचटी) दूध, पहले से पैक और लेबल वाला छेना या पनीर पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है; सभी भारतीय ब्रेड (चपाती, पराठा, परोटा आदि) पर भी जीएसटी हटा दिया गया है

लगभग सभी खाद्य पदार्थों जैसे पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि पर जीएसटी 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

नई जीएसटी दरों में किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है।कृषि वस्तुओं, मिट्टी तैयार करने या जुताई के लिए ट्रैक्टर, कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर, घास काटने की मशीन, कंपोस्ट मशीन आदि शामिल हैं, पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है जो कि स्वागत योग्य है, आमजन को इस राहत के लिए श्री तोमर ने माननीय प्रधानमंत्री और जीएसटी काउंसिल को बधाई दी है।

विस/ जसं/25

नरेंद्र मिश्रा

अवर सचिव